न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रामप्यारी बनाम रोहिताश वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.08.2025 तक इस अमर से पावन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 नं0 27/348 रकबा 0.5000हे0, 68/249 रकबा 0.7500हे0 किता 2 रकबा 1.2500हे0 वाके ग्राम नंगली जनारदन तहसील खैरथल में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे एवं अबट आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का नवीन निर्माण नहीं करे, दीगर व्यक्ति को रहन,वय,लिज,हिबा आदि से मुन्तकिल न करे तथा प्राथीगण के हिस्से तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.08.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

5/8/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 23/9/25 को पेश हो।

8/8/25 पत्रावली मूलवाद के साथ रीडर पेश हुई। प्रा० पत्र का मूलवाद जर्ये रा० डिग्री हो चुका है। अत: प्रा० पत्र 212 RTA भी डिग्री/खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner